CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-3

निपुण भारत कार्यक्रम

हाल ही में, केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा 'निपुण भारत कार्यक्रम' (NIPUN Bharat Programme) का शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम के बारे में:

निपुण कार्यक्रम का अर्थ 'समझ के साथ पढ़ने तथा संख्या गणना में निपुणता हेतु राष्ट्रीय पहल' (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy– NIPUN) है।

यह कार्यक्रम, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। निपुण भारत को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। लक्ष्य: इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है, कि देश का प्रत्येक बच्चा वर्ष 2026-27 तक ग्रेड-3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या-गणना कौशल आवश्यक रूप से प्राप्त कर सके।

यह कार्यक्रम, 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की सीखने संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा।

कार्यान्वयन:

इस पहल को लागू करने के लिए, केंद्र द्वारा प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय-राज्य-जिला-ब्लॉक-स्कूल स्तर पर एक पांच स्तरीय क्रियान्वन तंत्र स्थापित किया जाएगा।

कार्यक्रम के केंद्र बिंदु:

मिशन के तहत, बच्चे के शारीरिक और सामाजिक-भावनात्मक विकास, साक्षरता और संख्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, जीवन कौशल आदि जैसे परस्पर संबंधित और परस्पर निर्भर विकास के विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

निपुण भारत कार्यक्रम में, अपने स्कूलों, शिक्षकों, माता-पिता और समुदायों के साथ-साथ छात्रों को हर संभव तरीके से, बच्चों की वास्तविक क्षमता प्राप्त करने और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए समर्थन और प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है।

निपुण भारत मिशन के प्रमुख घटक और अपेक्षित परिणाम:

प्राथमिक कौशल, बच्चों को कक्षा में रखने में सक्षम होते हैं जिससे बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को पढाई जारी रखने के लिए रोका जा सकता है और प्राथमिक से उच्च प्राथमिक व माध्यमिक चरणों में पढ़ाई छोड़ने की दर में कमी आती है।

गतिविधि आधारित शिक्षण और सीखने के अनुकूल माहौल से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

खिलौना आधारित और अनुभवात्मक शिक्षण जैसी नवीन अभिनव अध्यापन विधियों का उपयोग कक्षा-कार्यों में किया जाएगा, जिससे शिक्षण एक आनंदमय और आकर्षक गतिविधि बना रहेगा।

शिक्षकों का गहन क्षमता निर्माण, उनके लिए सशक्त बनाएगा और शिक्षण विधि चुनने के लिए अधिक स्वायत्तता प्रदान करेगा।

विधान परिषद (Legislative Council)

भारत में द्विसदनीय शासन पद्धति (Bicameral System) प्रचलित है, अर्थात संसद के दो सदन होते हैं; लोकसभा तथा राज्यसभा।

इस प्रणाली में, केंद्र की लोकसभा के समकक्ष, राज्य स्तर पर 'विधानसभा' (Legislative Assembly) होती है; तथा राज्य सभा के समकक्ष 'विधान परिषद' (Legislative Council) होती है।

'विधान परिषद' का सृजन किस प्रकार किया जाता है?

संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत, यदि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उत्सादन करने हेतु, इस आशय का कोई संकल्प राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है, तो

CAREER PLUS

संसद, विधि द्वारा राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उत्सादन कर सकती है।

सदन में सदस्यों की संख्या:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 खंड (1) के अनुसार, विधान परिषद वाले किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या, उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए, तथा किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में चालीस से कम नहीं होगी।

विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन:

1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है।
1/3 सदस्य राज्य की नगरपालिकाओं, ज़िला बोर्ड और अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं।
1/12 सदस्य, अध्यापकों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा।
1/12 सदस्य, पंजीकृत स्नातकों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा।
शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा, साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा क्षेत्रों में प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों में से मनोनीत किये जाते हैं।

वन अधिकार अधिनियम (FRA)

वर्ष 2006 में पारित अधिनियम पारंपरिक वनवासी समुदायों के अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है।

अधिनियम के अंतर्गत प्रद्दत अधिकार:

स्वामित्व अधिकार – वनवासियों अथवा आदिवासियों द्वारा 13 दिसंबर 2005 तक कृषि की जाने वाली भूमि पर, जो कि 4 हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए, उक्त तारीख तक वास्तव में कृषि करने वाले संबंधित परिवार को स्वामित्व अधिकार प्रदान किए जाएंगे। अर्थात, कोई अन्य नयी भूमि प्रदान नहीं की जाएगी।
अधिकारों का उपयोग- वनवासियों अथवा आदिवासियों के लिए, लघु वन उपज (स्वामित्व सहित), चारागाह क्षेत्र, तथा पशुचारक मार्ग संबंधी अधिकार उपलब्ध होंगे।
राहत और विकास अधिकार – वनवासियों अथवा आदिवासियों के लिए अवैध निकासी या बलपूर्वक विस्थापन के मामले में पुनर्वास का अधिकार तथा वन संरक्षण हेतु प्रतिबंधों के अधीन बुनियादी सुविधाओं का अधिकार प्राप्त होगा।
वन प्रबंधन अधिकार – जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा करने संबधी अधिकार होंगे।
पात्रता मापदंड:

वन अधिकार अधिनियम (FRA) की धारा 2(c) के अनुसार, वनवासी अनुसूचित जनजाति (Forest Dwelling Scheduled Tribe – FDST) के रूप में अर्हता प्राप्त करने और FRA के तहत अधिकारों की मान्यता हेतु पात्र होने के लिए, आवेदक द्वारा निम्नलिखित तीन शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है।

व्यक्ति अथवा समुदाय;

अधिकार का दावा किये जाने वाले क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए;
13-12-2005 से पहले मूल रूप से वन अथवा वन भूमि का निवासी होना चाहिए;
आजीविका हेतु वास्तविक रूप से वन अथवा वन भूमि पर निर्भर होना चाहिए।
तथा, अन्य पारंपरिक वनवासियों (Other Traditional Forest Dweller – OTFD) के रूप में अर्हता प्राप्त करने और FRA के तहत अधिकारों की मान्यता हेतु पात्र होने के लिए, निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

CAREER PLUS

व्यक्ति अथवा समुदाय;

जो 13 दिसम्बर, 2005 से पूर्व कम से कम तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) तक मूल रूप से वन या वन भूमि में निवास करता हो।
आजीविका हेतु वास्तविक रूप से वन अथवा वन भूमि पर निर्भर हो।
अधिकारों की मान्यता प्रदान करने हेतु प्रक्रिया:

ग्राम सभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, जिसमें, किन संसाधनों पर किनके अधिकारों को मान्यता दी जानी चाहिए, इस संबंध में सिफारिश की जाएगी।
इसके पश्चात, इस प्रस्ताव की उप-मंडल (या तालुका) स्तर पर और बाद में जिला स्तर पर जांच की जाएगी और अनुमोदित किया जाएगा।
इन स्क्रीनिंग समितियों में वन, राजस्व और आदिवासी कल्याण विभाग के तीन सरकारी अधिकारी और उस स्तर पर स्थानीय निकाय के तीन निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये समितियां, वन अधिकारों की मान्यता से संबंधित अपीलों पर सुनवाई भी करती हैं।

सहकारिता मंत्रालय

(MINISTRY OF COOPERATION) संदर्भ:

देश में 'सहकारिता आंदोलन' को मजबूत करने के लिए एक नया 'सहकारिता मंत्रालय' (Ministry of Cooperation) का गठन किया गया है।

नए मंत्रालय की भूमिकाएं / कार्य:

यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा।
यह सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले एक सच्चे जनभागीदारी आधारित आंदोलन को मजबूत बनाने में भी सहायता प्रदान करेगा।
यह मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए 'कारोबार में सुगमता' के लिए प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और बहु-राज्य सहकारी समितियों (multi-state cooperatives – MSCS) के विकास को सक्षम बनाने की दिशा में कार्य करेगा।
'सहकारी समितियां' क्या होती हैं?
(Cooperative Societies)

सहकारी समिति, संयुक्त-स्वामित्व और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रण के माध्यम से, अपने सामूहिक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, स्वेच्छा से एकजुट हुए व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ होती है।
इन समितियों में, लाभकारिता की आवश्यकता, समिति के सदस्यों की आवश्यकताओं और समुदाय के व्यापक हितों से संतुलित होती है।
सहकारी समितियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:
संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम, 2011 के माध्यम से, भारत में कार्यरत सहकारी समितियों के संबंध में संविधान के भाग IXA (नगरपालिका) के ठीक बाद एक नया भाग IXB जोड़ा गया।
इसी संशोधन द्वारा, संविधान के भाग III के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(c) में भारत के सभी नागरिकों को 'संगम या संघ' के साथ-साथ 'सहकारी समिति' बनाने का मूल अधिकार अंत:स्थापित किया गया है।
सहकारी समिति के ऐच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यवाही, लोकत्रांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबन्धन में वृद्धि करने हेतु, संविधान में 'राज्य के नीति निदेशक तत्वों' (भाग IV) के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 43B जोड़ा गया है।

भालिया गेहूं (BHALIA WHEAT)

- जीआई प्रमाणित गेहूं की इस किस्म में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और यह स्वाद में मीठा होता है।
- भालिया गेहूं की फसल प्रमुख रुप से गुजरात के भाल क्षेत्र में पैदा की जाती है।

CAREER PLUS

- गेहूं की इस किस्म की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि इसे बारिश के मौसम में बिना सिंचाई के उगाया जाता है और गुजरात में लगभग दो लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में इसकी खेती की जाती है।
- यह बिना सिंचाई के बारानी परिस्थितियों में उगाया जाता है और गुजरात में लगभग दो लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में खेती की जाती है।

'राइट-टू-रिपेयर' आंदोलन
('RIGHT TO REPAIR' MOVEMENT)

इस आंदोलन के बारे में:

'राइट-टू-रिपेयर' (Right to Repair) अर्थात 'मरम्मत करने का अधिकार', उपभोक्ताओं को अपने इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य उत्पादों की मरम्मत खुद करने हेतु सक्षम बनाता है।

इस आंदोलन का लक्ष्य, कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य उत्पादों के स्पेयर पार्ट्स, औजार तथा इनको ठीक करने हेतु उपभोक्ताओं और मरम्मत करने वाली दुकानों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाना है, जिससे इन उत्पादों का जीवन-काल बढ़ सके और इन्हें कचरे में जाने से बचाया जा सके।
इस आंदोलन की जड़ें 1950 के दशक में कंप्यूटर युग की शुरुआत से जुड़ी हुई हैं।
आंदोलन की शुरुआत के कारण एवं उद्देश्य:

इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्माताओं द्वारा 'एक नियोजित अप्रचलन' (Planned Obsolescence) की संस्कृति को प्रोत्साहित किया जा रहा है – जिसका अर्थ है कि उपकरणों को विशेष रूप से सीमित समय तक काम करने और इसके बाद इन्हें बदले जाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।

इससे पर्यावरण पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय होता है।

इसके अलावा, उपभोक्ताओं को अक्सर उत्पाद निर्माताओं की मेहरबानी पर छोड़ दिया जाता है, और ये उत्पाद निर्माता यह निर्धारित करते हैं कि इन उपकरणों को कौन ठीक कर सकता है।
इस प्रकार अधिकाँश लोगों के लिए उपकरणों की मरम्मत करवाना काफी महंगा और कठिन हो जाता है।
'राइट-टू-रिपेयर' के लाभ:

मरम्मत करने वाली छोटी दुकानें स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण भाग होती हैं, इस अधिकार को दिए जाने से इन दुकानों के कारोबार में वृद्धि होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभ होगा।

विभिन्न देशों में 'राइट-टू-रिपेयर' कानून:

हालिया वर्षों में, विश्व के तमाम देशों में, एक प्रभावी 'राइट-टू-रिपेयर' कानून को पारित करने का प्रयास किया जा रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा, हाल ही में, एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस आदेश में 'फ़ेडरल ट्रेड कमीशन' से, उपभोक्ताओं के अपनी शर्तों पर अपने उपकरण की मरम्मत करने पर निर्माताओं द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों पर लगाम लगाने के लिए कहा गया है।
ब्रिटेन में 'राइट-टू-रिपेयर' नियम लागू किए गए हैं, जिनके तहत, टीवी और वाशिंग मशीन जैसे दैनिक उपयोग के उपकरणों को खरीदना और उनकी मरम्मत करना काफी आसान हो जाएगा।
आंदोलन का विरोध:

इस आंदोलन को पिछले कुछ वर्षों में एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे तकनीकी दिग्गजों के जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है।

CAREER PLUS

इनका तर्क यह है कि, अपनी बौद्धिक संपदा को, तीसरे पक्ष की मरम्मत सेवाओं या शौकिया मरम्मत करने वालों के लिए खोलने से उनका शोषण हो सकता है और उनके उपकरणों की विश्वसनीयता और सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
इन कंपनियों द्वारा यह तर्क भी दिया जाता है कि, इस तरह की पहल से डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन

(India's first cryptogamic garden)

हाल ही में, उत्तराखंड में देहरादून के चकराता शहर में भारत के पहले 'क्रिप्टोगैमिक गार्डन' (Cryptogamic Garden) का उद्घाटन किया गया।

इस उद्यान में लाइकेन, फर्न और कवक (इन्हें सामूहिक रूप से क्रिप्टोगेमिक के रूप में जाना जाता है) की लगभग 50 प्रजातियाँ पाई जायेंगी।
इस जगह को, इन प्रजातियों के विकास के लिए अनुकूल, निम्न प्रदूषण स्तर और आर्द्र जलवायु परिस्थितियों के कारण चुना गया है।
क्रिप्टोगैम (Cryptogams) क्या होते हैं?

पादप जगत को, दो उप-जगतों यथा, क्रिप्टोगैम (Cryptogams) और फ़ैनरोगैम (Phanerogams) में विभाजित किया जा सकता है।

क्रिप्टोगैम समूह में 'बीज रहित पौधे' (seedless plants) और 'पादपों के समान जीव' (plant-like organisms) होते हैं जबकि फ़ैनरोगैम समूह में 'बीज वाले पौधे' (seed-bearing plants) होते हैं।
फ़ैनरोगैम को आगे दो वर्गों, यथा, जिम्नोस्पर्म (gymnosperms) और एंजियोस्पर्म (angiosperms) में विभाजित किया जाता है।
"क्रिप्टोगेम" शब्द का अर्थ 'अप्रत्यक्ष प्रजनन' होता है, अर्थात ये पौधे किसी भी प्रजनन संरचना, बीज या फूल का उत्पादन नहीं करते हैं।
क्रिप्टोगैम पादप, जैसे कि शैवाल, लाइकेन, काई और फर्न, बीजाणुओं(spores) की मदद से प्रजनन करते हैं।

नए यूरोपीय जलवायु कानून

संदर्भ:

हाल ही में, यूरोपीय संघ द्वारा कार्बन उत्सर्जन को कम करने और अपने 27 सदस्य देशों से जीवाश्म ईंधन से मुक्त करने के लिए "फिट फॉर 55" (Fit for 55) शीर्षक से विश्व के कुछ सर्वाधिक महत्वाकांक्षी प्रस्तावों को पेश किया गया है।

ये उपाय, वर्ष 2030 तक उत्सर्जन को, वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में 55% तक कम करने का अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए यूरोपीय संघ का रोडमैप हैं।

रोडमैप के प्रमुख बिंदु:

इस रोडमैप में, पूरे यूरोपीय संघ में परिवहन, निजी और वाणिज्यिक दोनों, को विशेष रूप से लक्षित किया गया है।
उदाहरण के लिए, वर्ष 2035 से यूरोपीय संघ में 'दहन इंजन' (Combustion Engines) वाली कारों का उत्पादन नहीं किया जाएगा।
विमानन और समुद्री परिवहन में पारंपरिक ईंधन के स्थान पर कोई 'संवहनीय' विकल्प अपनाने वाले देशों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
पेट्रोल और गैसोलीन ईंधन पर न्यूनतम करों की दर में महत्वपूर्ण अंतर से वृद्धि की जाएगी, और इसी तरह की टैक्स-दर 'मिट्टी के तेल' (केरोसिन) पर भी लागू होगी।
कार्बन सीमा:

प्रस्तावित कार्बन सीमा के तहत, समूह के बाहर उत्पादित कुछ वस्तुओं पर उनके 'कार्बन पदचिह्न' के आधार पर कर आरोपित किए जाएंगे, जोकि यूरोपीय संघ के भीतर उत्पादित वस्तुओं के लिए मौजूदा मानकों के अधीन होंगे।

CAREER PLUS

कार्बन सीमा लागू करने के माध्यम से, यूरोपीय संघ की कंपनियों को, निम्न पर्यावरण मानकों वाले स्थानों से सस्ती सामग्री आयात करने से हतोत्साहित करने की योजना है।

'यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली' (ETS) में निर्धारित सीमा को कम करना:

वर्ष 2005 में गठित 'यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली' (EU Emissions Trading System – ETS) के तहत, यूरोपीय संघ के भीतर 'कार्बन उत्सर्जक कंपनियों' पर प्रतिवर्ष उत्पादन करने की एक सीमा निर्धारित की जाती है।

यदि कोई कंपनी इस सीमा का उल्लंघन करती है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा, ETS में कोई कंपनी, किसी अन्य कंपनी से, उसके लिए अनुमत्त किंतु अप्रयुक्त 'उत्सर्जन-भाग' को खरीद भी सकती है।

लाभ:

सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

रोजगार सृजन होगा।

यूरोपीय संघ के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य और पर्यावरणीय लाभ प्राप्त होंगे।

हरित प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देकर यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा में योगदान करेगी।

कार्यान्वयन में चुनौतियां:

यूरोपीय संघ के कुछ सदस्य देश अन्य देशों की तुलना में गरीब हैं, अर्थात, इन देशों के लिए 'ब्रुसेल्स लक्ष्यों' के अनुसार परिवर्तन करना मुश्किल होगा। जबकि अन्य सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाएं उद्योगों पर आधारित हैं, जोकि प्रवृत्ति के अनुसार अधिक उत्सर्जन पैदा करती हैं।

नए यूरोपीय जलवायु कानून लागू करना राजनीतिक रूप से भी कठिन होगा, क्योंकि वर्तमान में, कई सदस्य देश, यूरोप-व्यापी कई अन्य मुद्दों- 'विधि कि शासन' से लेकर मानवाधिकारों संबंधी- पर बंटे हुए हैं, और संभवतः जलवायु परिवर्तन पर जारी इस बहस का उपयोग, अन्य विवादों के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में करेंगे।

विशेषज्ञों का कहना है, हालांकि इन नीतियों को पहले लागू करना तकनीकी और आर्थिक रूप से संभव है, किंतु, इस रूप में यह 'ग्रीन डील', ग्लोबल वार्मिंग को 5C तक सीमित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।

इन कानूनों से, यूरोपीय संघ भले ही कार्बन तटस्थ हो जाए, किंतु अन्य विकासशील देशों द्वारा उत्सर्जन में तीव्र वृद्धि होती रहेगी।

इससे पहले, यूरोपीय संघ की 'जलवायु परिवर्तन' पर दी गई प्रतिक्रिया:

यूरोपीय संघ के देशों द्वारा 'ग्रीन हाउस गैसों' के उत्सर्जन को काफी हद तक कम करने हेतु, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

वर्ष 2017 तक, यूरोपीय संघ द्वारा, वर्ष 1990 की तुलना में, अपने उत्सर्जन में लगभग 22% की कमी की जा चुकी थी, और समूह ने अपने 2020 उत्सर्जन-कटौती लक्ष्य को निर्धारित समय से तीन साल पहले तक हासिल कर लिया था।

'जलवायु परिवर्तन' अब वैश्विक चुनौती क्यों बन गया है?

ग्रह की जलवायु में होने वाले वर्तमान परिवर्तनों से पूरी दुनिया में बदलाव हो रहे हैं।

पिछले दो दशकों के दौरान, 18 वर्ष रिकॉर्ड स्तर पर सर्वाधिक गर्म वर्ष रहे हैं, और वनाग्नि, ग्रीष्म-लहरें (हीट वेव्स) और बाढ़ जैसी चरम मौसमी घटनाएं, यूरोप और अन्य जगहों पर बार-बार हो रही हैं।

वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है, कि यदि तत्काल ही कोई कार्रवाई नहीं की गयी तो, वर्ष 2060 तक ग्लोबल वार्मिंग पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाएगी, और इस सदी के अंत तक, यह 5 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकती है।

CAREER PLUS

वैश्विक तापमान में इस तरह की वृद्धि से प्रकृति पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा, जिससे कई पारिस्थितिक तंत्रों में अपरिवर्तनीय बदलाव होंगे और इसके परिणामस्वरूप जैव विविधता को अपूर्णीय क्षति पहुंचेगी।
उच्च तापमान और तीव्र मौसमी घटनाओं के परिणामस्वरूप यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था के लिए भारी नुकसान पहुंचेगा और देशों की खाद्य उत्पादन क्षमता में बाधा उत्पन्न होगी।
समय की मांग:

जीवाश्म ईंधन से होने वाले वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का लगभग 8% हिस्सा यूरोपीय संघ में उत्पादित होता है। बढ़ते तापमान को नियंत्रित करने के लिए, विश्व के दो सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक देशों- अमेरिका और चीन, सहित अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भी कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना:

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY), भारत सरकार की प्रमुख पहलों में से एक है और विद्युत मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है।

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण और बिजली वितरण बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए तत्कालीन राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY) योजना को DDUGJY योजना में समाहित किया गया है।

उद्देश्य:

सभी गांवों और घरों का विद्युतीकरण करना।
ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर कृषि उपभोक्ताओं की आपूर्ति को विवेकपूर्ण तरीके से बहाल करने की सुविधा हेतु कृषि और गैर कृषि फीडरों का पृथक्करण करना।
आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार हेतु उप-पारेषण और वितरण की आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण एवं आवर्धन करना।
घाटे को कम करने के लिए मीटर लगाना।
कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी: ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (Rural Electrification Corporation Limited – REC)।

'सौभाग्य' योजना:

(Saubhagya scheme)

प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (पीएम सौभाग्य) को सितंबर 2017 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य दिसंबर 2018 तक सभी घरों में बिजली पहुंचाना था।

इस लक्ष्य को आगे बढ़ाकर 31 मार्च, 2019 कर दिया गया।
अंततः केंद्र द्वारा सभी 'इच्छुक' घरों को बिजली कनेक्शन दिए जा चुकने संबंधी घोषणा कर दी गयी है।

इज़राइली स्पाइवेयर पेगासस

(Israeli spyware Pegasus) संदर्भ:

हाल ही में जारी नवीनतम रिपोर्ट्स में 'पेगासस स्पाइवेयर' (Pegasus spyware) का निरंतर उपयोग किए जाने की पुष्टि की गई है। इस 'स्पाइवेयर' को एक इजरायली कंपनी द्वारा, विश्व में कई देशों की सरकारों को बेचा जाता है। जिन फोनों को इस 'पेगासस स्पाइवेयर' के द्वारा लक्षित किया जाता है, उनकी तरह ही इस 'स्पाइवेयर' को भी अपडेट किया गया है और अब नई जासूसी क्षमताओं से युक्त है।

'पेगासस' क्या है?

CAREER PLUS

यह 'एनएसओ ग्रुप' (NSO Group) नामक एक इजरायली फर्म द्वारा विकसित एक 'स्पाइवेयर टूल' अर्थात जासूसी उपकरण है।

यह स्पाइवेयर, लोगों के फोन के माध्यम से उनकी जासूसी करता है।
पेगासस, किसी उपयोगकर्ता के फ़ोन पर एक 'एक्सप्लॉइट लिंक' (exploit link) भेजता है, और यदि वह लक्षित उपयोगकर्ता, उस लिंक पर क्लिक करता है, तो उसके फोन पर 'मैलवेयर' (malware) या 'जासूसी करने में सक्षम' कोड इंस्टॉल हो जाता है।
एक बार 'पेगासस' इंस्टॉल हो जाने पर, हमलावर के पास 'लक्षित' उपयोगकर्ता के फोन पर नियंत्रण और पहुँच हो जाती है।
'पेगासस' की क्षमताएं:

पेगासस, "लोकप्रिय मोबाइल मैसेजिंग ऐप से, लक्षित व्यक्ति का निजी डेटा, उसके पासवर्ड, संपर्क सूची, कैलेंडर ईवेंट, टेक्स्ट संदेश, लाइव वॉयस कॉल आदि को हमलावर के पास पहुंचा सकता है"।
यह, जासूसी के के दायरे का विस्तार करते हुए, फ़ोन के आस-पास की सभी गतिविधियों को कैप्चर करने के लिए लक्षित व्यक्ति के फ़ोन कैमरा और माइक्रोफ़ोन को चालू कर सकता है।
'जीरो-क्लिक' अटैक क्या है?

'जीरो-क्लिक अटैक' (zero-click attack), पेगासस जैसे स्पाइवेयर को बिना किसी मानवीय संपर्क या मानवीय त्रुटि के, लक्षित डिवाइस पर नियंत्रण हासिल करने में मदद करता है।

तो, जब लक्षित डिवाइस ही 'सिस्टम' बन जाता है, तो 'फ़िशिंग हमले से कैसे बचा जाए, या कौन से लिंक पर क्लिक नहीं करना है, इस बारे में सभी तरह की जागरूकता व्यर्थ साबित हो जाती है।
इनमें से अधिकतर 'जीरो-क्लिक अटैक' किसी भी उपयोगकर्ता द्वारा डिवाइस पर प्राप्त हुए डेटा की विश्वसनीयता निर्धारित करने से पहले ही, सॉफ़्टवेयर का इस्तेमाल कर लेते हैं।
मैलवेयर, ट्रोजन, वायरस और वर्म में अंतर:

मैलवेयर (Malware), कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से अवांछित अवैध कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया सॉफ़्टवेयर होता है। इसे दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले सॉफ़्टवेयर के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है।

मैलवेयर को उनके निष्पादन, प्रसार और कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके कुछ प्रकारों की चर्चा नीचे की गई है।

वायरस (Virus): यह एक प्रोग्राम होता है, जो कंप्यूटर के अन्य प्रोग्रामों को, उनमे अपनी ही एक संभावित विकसित प्रतिलिपि शामिल करके, संशोधित और संक्रमित कर सकता है।
वर्म्स (Worms): यह कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित होते हैं। यह, कंप्यूटर वर्म्स, वायरस के विपरीत, वैध फाइलों में घुसपैठ करने के बजाय एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में खुद को कॉपी करते हैं।
ट्रोजन (Trojans): ट्रोजन या ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा प्रोग्राम होते है, जो आमतौर पर किसी सिस्टम की सुरक्षा को बाधित करते है। ट्रोजन का उपयोग, सुरक्षित नेटवर्क से संबंधित कंप्यूटरों पर बैक-डोर बनाने के लिए किया जाता है ताकि हैकर सुरक्षित नेटवर्क तक अपनी पहुंच बना सके।
होक्स (Hoax): यह एक ई-मेल के रूप में होता है, और उपयोगकर्ता को, उसके कंप्यूटर को नुकसान पहुचाने वाले किसी सिस्टम के बारे में चेतावनी देता है। इसके बाद, यह ई-मेल संदेश, उपयोगकर्ता को नुकसान पहुंचाने वाली सिस्टम को ठीक करने के लिए एक 'प्रोग्राम' (अक्सर डाउनलोड करने के लिए) चालू करने का निर्देश देता है। जैसे ही यह प्रोग्राम चालू या 'रन' किया जाता है, यह सिस्टम पर हमला कर देता है और महत्वपूर्ण फाइलों को मिटा देता है।

CAREER PLUS

स्पाइवेयर (Spyware): यह कंप्यूटर पर हमला करने वाले प्रोग्राम होते हैं, और, जैसा कि इसके नाम का तात्पर्य है, ये बिना सहमति के उपयोगकर्ता की गतिविधियों पर नज़र रखते है। 'स्पाइवेयर' आमतौर पर वास्तविक ई-मेल आईडी, गैर-संदेहास्पद ई-मेल के माध्यम से अग्रेषित किए जाते हैं। स्पाइवेयर, दुनिया भर में लाखों कंप्यूटरों को संक्रमित करते रहते हैं।

चीन का 'राष्ट्रीय कार्बन उत्सर्जन व्यापार बाजार'

(China's national carbon emissions trading market) संदर्भ:

एक दशक से अधिक समय तक स्थानीय स्तर पर पायलट प्रोजेक्ट चलाने के बाद, चीन ने, काफी समय से प्रतीक्षित अपने 'राष्ट्रीय कार्बन उत्सर्जन व्यापार बाजार' (National Carbon Emissions Trading Market) को आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है।

इसके साथ ही, चीन ने अपनी 'उत्सर्जन व्यापार योजना' (Emissions Trading Scheme- ETS) से यूरोपीय संघ की, अब तक विश्व की सबसे बड़ी, 'उत्सर्जन व्यापार प्रणाली' को पीछे छोड़ दिया है।

'कार्बन बाजार' क्या है?

'कार्बन बाजार' (Carbon Market), वह जगह होती है, जहां ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 'परमिट' या 'अनुमति' खरीद और बेच सकते हैं।

जो कंपनिया 'कार्बन-उत्सर्जन' के मामले में अच्छा प्रदर्शन करती है और अनुमोदित 'लक्ष्य' से कम 'उत्सर्जन' करती हैं, उनके पास 'कार्बन-उत्सर्जन लक्ष्य' अधिशेष रह जाता है, वे इसके लिए कार्बन बाजार में बेच सकती हैं; और अधिक प्रदूषण फैलाने वाली कम्पनियां, अपना अनुपालन विवरण जमा करने के लिए इस अधिशेष को खरीद सकती हैं।

सरकार द्वारा हर साल के लिए कार्बन उत्सर्जन की कुल मात्रा की एक सीमा निर्धारित करती है, और फिर कंपनियों द्वारा इस निर्धारित सीमा के भीतर 'उत्सर्जन कोटा' बेचा या खरीदा जाता है।

कार्बन बाजार में भागीदार:

पहले चरण में, इस प्रणाली के अंतर्गत केवल विद्युत् क्षेत्र को कवर किया गया है। प्रति वर्ष, देश के कुल वार्षिक उत्सर्जन का 40 प्रतिशत या 4 अरब टन से अधिक ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाली 2,000 से अधिक विद्युत् कंपनियों द्वारा इसमें भाग लिया गया है।

लौह एवं इस्पात, तथा विनिर्माण सामग्री सहित, सात अन्य उच्च ऊर्जा-गहन उद्योगों को, भविष्य में कार्बन बाजार द्वारा कवर किया जाएगा।

कार्बन बाजार की आवश्यकता:

चीन, वर्ष 2030 तक अपने उत्सर्जन को चरम पर पहुंचाने और वर्ष 2060 तक 'कार्बन तटस्थता' (Carbon Neutrality) हासिल करने संबंधी प्रयासों के अंतर्गत, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए 'व्यापार योजना' का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है।

इसके साथ ही चीन ने, पहली बार, राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी उद्यमों के लिए सौंप दी है।

गंगा नदी में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण

(Microplastics in Ganga)

संदर्भ: हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि गंगा नदी के विभिन्न हिस्से 'माइक्रोप्लास्टिक' से प्रदूषित हैं।

इस प्रकार के प्लास्टिक का सर्वाधिक सांद्रण वाराणसी में पाया गया है, और इसमें 'सिंगल-यूज़ प्लास्टिक' तथा द्वितीयक प्लास्टिक उत्पाद शामिल पाए गए हैं।

'माइक्रोप्लास्टिक' के बारे में:

CAREER PLUS

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-3

'माइक्रोप्लास्टिक्स' (Microplastics) को पानी में अघुलनशील, सिंथेटिक ठोस कणों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनका आकार 1 माइक्रोमीटर से 5 मिलीमीटर (मिमी) तक होता है।

माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के कारण:

नदी के किनारे अवस्थित कई शहरों के अनुपचारित सीवेज का नदी की धारा में प्रवाह किया जाना।
कई घनी आबादी वाले शहरों के निकट, औद्योगिक अपशिष्ट और गैर-अपघटनीय प्लास्टिक में लिपटे धार्मिक प्रसाद का नदी में विसर्जन करने से नदी में प्रदूषकों का ढेर एकत्रित हो जाता है।
नदी में छोड़े गए या फेंके गए प्लास्टिक उत्पाद और अपशिष्ट पदार्थ बिखंडित होकर अंततः माइक्रोपार्टिकल्स के रूप में विभिक्त हो जाते हैं।
प्लास्टिक प्रदूषण विशेष रूप से हानिकारक क्यों है?

प्लास्टिक को विघटित होने में सैकड़ों से हजारों वर्ष का समय लग सकता है, और यह प्लास्टिक के प्रकार और इसे 'डंप' करने वाली जगह पर भी निर्भर करता है।
जूप्लैंकटंस जैसी कुछ समुद्री प्रजातियां, सूक्ष्म कणों को भोजन के रूप में ग्रहण करने पर वरीयता देतीं है, इससे इनके लिए खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करना आसान हो जाता है। 'माइक्रोप्लास्टिक' जैसे सूक्ष्म कणों को खाने से ये समुद्री जीव, शीघ्र ही 'विष्ठा की गोलियों' में परिवर्तित हो जाते है।
पिछले कुछ वर्षों में, विभिन्न समाचार रिपोर्टों से पता चला है कि व्हेल, समुद्री पक्षी और कछुए जैसे समुद्री जानवर अनजाने में प्लास्टिक को निगल जाते हैं और इससे अक्सर इनकी दम घुटने से मौत हो जाती है।
मनुष्यों पर प्रभाव:

जब समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण, खाद्य श्रृंखला में पहुँच जाता है, तो यह मनुष्यों के लिए भी हानिकारक हो जाता है। उदाहरण के लिए, बहुधा नल के पानी, बीयर और यहां तक कि नमक में भी माइक्रोप्लास्टिक के कण पाए जाते हैं।
मनुष्य द्वारा ग्रहण किए जाने वाले खाद्य पदार्थों में प्लास्टिक प्रदूषण की मात्रा का अनुमान लगाने वाले कुछ अध्ययनों में से, जून 2019 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, एक सामान्य व्यक्ति हर साल माइक्रोप्लास्टिक के कम से कम 50,000 कण अपने भोजन के साथ खा जाता है।
मनुष्यों द्वारा प्लास्टिक का अंतर्ग्रहण हानिकारक होता है, क्योंकि प्लास्टिक के उत्पादन हेतु प्रयुक्त कई रसायन कैंसर-जनक हो सकते हैं।
फिर भी, चूंकि माइक्रोप्लास्टिक्स अध्ययन का एक उभरता हुआ क्षेत्र है, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर इसके सटीक जोखिम स्पष्ट रूप से अभी ज्ञात नहीं हैं।
प्लास्टिक प्रदूषण को मात देने हेतु भारत के प्रयास:

20 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 'प्लास्टिक प्रदूषण को मात देने की लड़ाई' में शामिल हो गए हैं, और इनके द्वारा कैरी बैग, कप, प्लेट, कटलरी, स्ट्रॉ और थर्मोकोल उत्पादों जैसे सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है।
भारत के "बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन" अभियान की वैश्विक रूप से सराहना की गयी है। इस अभियान के तहत भारत ने वर्ष 2022 तक 'सिंगल-यूज प्लास्टिक' को खत्म करने का संकल्प लिया है।

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC)

(Central Bank Digital Currency)

संदर्भ: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा शीघ्र ही, अपनी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (Central Bank Digital Currency) शुरू करने संबंधी रणनीति को जांचने में मदद करने हेतु, थोक और खुदरा भुगतान करने के लिए डिजिटल मुद्रा का उपयोग करने की व्यवहार्यता का आकलन करने हेतु पायलट परियोजनाओं को शुरू किए जाने की योजना है।

CAREER PLUS

आवश्यकता: एक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा, बिना किसी इंटर-बैंक सेटलमेंट के 'रियल-टाइम भुगतान' को सक्षम करते हुए मुद्रा प्रबंधन की लागत को कम करेगी।

भारत का काफी उच्च मुद्रा-जीडीपी अनुपात, सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) का एक और लाभ है- इसके माध्यम से, काफी हद तक नकदी के उपयोग को CBDC द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है तथा कागज़ी मुद्रा की छपाई, परिवहन और भंडारण की लागत को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

चूंकि, इस व्यवस्था के तहत, व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मुद्रा-अंतरण केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी होगी, अतः 'अंतर-बैंक निपटान' / 'इंटर-बैंक सेटलमेंट' की जरूरत समाप्त हो जाएगी।

CBDC या 'राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा' क्या है?

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC), या राष्ट्रीय डिजिटल करेंसी, किसी देश की साख मुद्रा का डिजिटल रूप होती है। इसके लिए, कागजी मुद्रा या सिक्कों की ढलाई करने के बजाय, केंद्रीय बैंक इलेक्ट्रॉनिक टोकन जारी करता है। इस सांकेतिक टोकन को, सरकार का पूर्ण विश्वास और साख का समर्थन हासिल होता है।

एस सी गर्ग समिति की सिफारिशें (2019)

किसी भी रूप में क्रिप्टोकरेंसी का खनन, स्वामित्व, लेन-देन या सौदा करने को प्रतिबंधित किया जाए।

समिति के द्वारा, डिजिटल मुद्रा में विनिमय या व्यापार करने पर एक से 10 साल तक के कारावास का दंड की सिफारिश की गयी थी।

समिति ने, सरकारी खजाने को हुए नुकसान या क्रिप्टोकरेंसी उपयोगकर्ता द्वारा अर्जित किए गए लाभ, जो भी अधिक हो, के तीन गुना तक मौद्रिक दंड का प्रस्ताव किया गया था।

हालांकि, समिति ने सरकार से 'भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्रिप्टोकरेंसी जारी करने की संभवना' पर अपना दिमाग खुला रखने की सलाह भी दी गयी थी।

राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा शुरू करने में चुनौतियाँ:

संभावित साइबर सुरक्षा खतरा

आबादी में डिजिटल साक्षरता का अभाव

डिजिटल मुद्रा की शुरूआत से, विनियमन, निवेश और खरीद पर नज़र रखने, व्यक्तियों पर कर लगाने आदि से संबंधित विभिन्न चुनौतियाँ भी उत्पन्न होती हैं।

निजता के लिए खतरा: डिजिटल मुद्रा के लिए किसी व्यक्ति की कुछ बुनियादी जानकारी एकत्र करनी आवश्यक होती है, ताकि व्यक्ति यह साबित कर सके कि वह उस डिजिटल मुद्रा का धारक है।

भारत, मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने हेतु 26 द्विपक्षीय समझौतों में शामिल

संदर्भ:

गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भारत द्वारा मादक पदार्थों, दवाओं और मन:प्रभावी औषधियों (Psychotropic Substances) तथा रासायनिक उत्तेजकों की अवैध तस्करी से निपटने हेतु 26 द्विपक्षीय समझौते, 15 समझौता-ज्ञापनों और विभिन्न देशों के साथ सुरक्षा सहयोग संबंधी दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (Narcotics Control Bureau – NCB) का अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय:

1. सार्क औषध अपराध निगरानी डेस्क (SAARC Drug Offences Monitoring Desk)।
2. ब्रिक्स कोलंबो योजना (BRICS Colombo Plan)।
3. औषधि मामलों पर आसियान सीनियर ऑफिसियल्स (ASEAN Senior Officials on Drug Matters – ASOD)।
4. बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (BIMSTEC)।

CAREER PLUS

5. संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय (UNODC)।
6. इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (INCB)।

देश में किए गए उपाय:

1. विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय हेतु, वर्ष 2016 में गृह मंत्रालय द्वारा नार्को समन्वय केंद्र (Narco Coordination Centre – NCORD) तंत्र की स्थापना की गई थी।
2. बड़ी मात्रा में बरामदगी से जुड़े मामलों संबंधी जांच की निगरानी हेतु 19 जुलाई, 2019 को NCB के महानिदेशक के अध्यक्षता में एक **'संयुक्त समन्वय समिति'** का गठन किया गया था।
3. अखिल-भारतीय स्तर पर ड्रग्स जब्ती डेटा के डिजिटलीकरण हेतु, गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में 'स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम' (Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act – NDPS) के अंतर्गत 'सिम्स' (Seizure Information Management System – SIMS) नामक एक ई-पोर्टल की शुरुआत की गयी।
4. **सहयोगी सुरक्षा एजेंसियां:** एनडीपीएस अधिनियम के तहत, राजस्व खुफिया निदेशालय के अलावा, सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, भारतीय तटरक्षक बल, रेलवे सुरक्षा बल और राष्ट्रीय जांच एजेंसी को भी नशीली दवाओं की जब्ती करने का अधिकार दिया गया है।

इन उपायों की आवश्यकता:

- देश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की व्यापकता पर एम्स-दिल्ली द्वारा वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार-
  - काफी अधिक संख्या में लोगों द्वारा साइकोएक्टिव पदार्थों (शराब, भांग और ओपिओइड) का उपयोग किया जाता हैं, और नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं की सूची में 'वयस्क पुरुष' शीर्ष स्थान पर हैं।
  - शराब, सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला मनःप्रभावी पदार्थ है, इसके बाद भांग, ओपिओइड (हेरोइन, अफीम) और इनहेलर आदि पदार्थ आते हैं।
  - नशीले पदार्थों का व्यसन, आमतौर पर शराब से शुरू होता है, और फिर नशे का आदी व्यक्ति निकोटीन और भांग की ओर बढ़ता है – जिसे हार्ड ड्रग्स का प्रवेश द्वार माना जाता है – और अंत में कड़े पदार्थों का सेवन करने लगता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की **'भारत में वार्षिक दुर्घटना और आत्महत्या मृत्यु' (Accidental Death & Suicides in India – ADSI) रिपोर्ट:**

1. वर्ष 2019 में मादक द्रव्यों के सेवन/शराब की लत के कारण हुई कुल 7860 आत्महत्याओं से मरने वाले 7719 पुरुष थे।
2. यहां तक कि, सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों के आंकड़ों में भी, 'ड्रग्स और शराब' सर्वाधिक मौतों का कारण है।

भारत में 'भुलाए जाने का अधिकार'

(The 'Right to be Forgotten' in India)

संदर्भ: हाल ही में, एक मशहूर टेलीविजन हस्ती 'आशुतोष कौशिक' ने इंटरनेट से अपने वीडियो, तस्वीरें और लेख हटाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इसके लिए उन्होंने अपने 'भुलाए जाने का अधिकार'' (Right to be Forgotten) का हवाला दिया है।

याचिका में की गई मांगे:

कौशिक की याचिका में 'इंटरनेट पर उससे संबंधित पोस्ट और वीडियो' का उल्लेख किया गया है, जिनकी वजह से याचिकाकर्ता को उसके द्वारा एक दशक पहले

CAREER PLUS

गलती से किए गए छोटे-मोटे कृत्यों के लिए लगातार मनोवैज्ञानिक पीड़ा झेलनी पड़ रही है।

याचिका में यह भी कहा गया है, कि याचिकाकर्ता के अपने निजी जीवन में गलतियाँ हो चुकी है और आगामी पीढ़ियों के लिए सार्वजनिक रूप से जानकारी में है, और इसलिए वर्तमान मामले में, 'यह पहलू' माननीय अदालत के समक्ष विधिक सुनवाई के लिए एक घटक के रूप में प्रस्तुत है।

<u>भारतीय संदर्भ में 'भुलाए जाने का अधिकार':</u>

'भुलाए जाने का अधिकार' (Right to be Forgotten), व्यक्ति के 'निजता के अधिकार' के दायरे में आता है।

वर्ष 2017 में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने एक ऐतिहासिक फैसले (पुत्तुस्वामी मामले) में 'निजता के अधिकार' को एक 'मौलिक अधिकार' (अनुच्छेद 21 के तहत) घोषित कर दिया गया था।

इस संदर्भ में 'निजी डेटा सुरक्षा विधेयक' के अंतर्गत किए गए प्रावधान:

'निजता का अधिकार', 'निजी डेटा सुरक्षा विधेयक' (Personal Data Protection Bill) द्वारा प्रशासित होता है, यद्यपि यह विधेयक अभी संसद में लंबित है।

इस 'विधेयक' में विशिष्ट रूप से "भुलाए जाने का अधिकार" के बारे में बात की गई है।

मोटे तौर पर, 'भुलाए जाने के अधिकार' के तहत, उपयोगकर्ता 'डेटा न्यासियों' (data fiduciaries) द्वारा जमा की गई अपनी व्यक्तिगत जानकारी को डी-लिंक या सीमित कर सकते है तथा इसे पूरी तरह से हटा भी सकते है या जानकारी को सुधार के साथ दिखाए जाने के लिए इसे सही भी कर सकते हैं।

विधेयक में इस प्रावधान से संबंधित विवाद:

इस प्रावधान के साथ मुख्य मुद्दा यह है, कि व्यक्तिगत डेटा और जानकारी की संवेदनशीलता को संबंधित व्यक्ति द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, बल्कि 'डेटा संरक्षण प्राधिकरण' (Data Protection Authority – DPA) द्वारा इसका निरीक्षण किया जाएगा।

इसका मतलब यह है, कि हालांकि मसौदा विधेयक में किए गए प्रावधान के अनुसार, उपयोगकर्ता अपने निजी डेटा को इंटरनेट से हटाने की मांग कर सकता है, लेकिन उसका यह अधिकार 'डेटा संरक्षण प्राधिकरण' (DPA) के लिए काम करने वाले न्यायनिर्णायक अधिकारी की अनुमति के अधीन होगा।

डिजिटल व्यापार सुविधा पर 143 अर्थव्यवस्थाओं का वैश्विक सर्वेक्षण (Global Survey of 143 economies on Digital Trade Facilitation)

हाल ही में, 'एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग' (United Nation's Economic and Social Commission for Asia Pacific's – UNESCAP) द्वारा 'डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा' (Digital and Sustainable Trade Facilitation) पर अपने नवीनतम वैश्विक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की गई है।

- डिजिटल एवं सतत व्यापार सुविधा पर वैश्विक सर्वेक्षण हर दो साल में UNESCAP द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य अपने संबंधित सदस्य देशों में व्यापार सुविधा सुधारों में प्रगति की समीक्षा करना है।
- यह सर्वेक्षण वर्ष 2015 से, पांच संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय आयोगों (United Nations Regional Commissions – UNRCs) – ECA, ECE, ECLAC, ESCAP और ESCWA द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
- वर्ष 2021 के सर्वेक्षण में 'विश्व व्यापार संगठन' के 'व्यापार सुविधा समझौते'

CAREER PLUS

(Trade Facilitation Agreement) में शामिल 58 व्यापार सुविधा उपायों का आकलन भी शामिल किया गया है।

भारत का प्रदर्शन:

1. भारत ने वर्ष 2019 में 78.49 प्रतिशत की तुलना में 90.32 प्रतिशत अंक हासिल किए है।
2. भारत का समग्र स्कोर भी फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड आदि कई ओईसीडी देशों के मुकाबले अधिक पाया गया है और इसका समग्र स्कोर यूरोपीय संघ के औसत स्कोर से अधिक है।
3. दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र (63.12 प्रतिशत) और एशिया प्रशांत क्षेत्र (65.85 प्रतिशत) की तुलना में भारत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश है।

पांच प्रमुख संकेतकों पर भारत का प्रदर्शन:

1. **पारदर्शिता:** 100 प्रतिशत
2. **औपचारिकताएं:** 95.83 प्रतिशत
3. **संस्थागत व्यवस्था एवं सहयोग:** 88.89 प्रतिशत
4. **कागज रहित व्यापार:** 96.3 प्रतिशत
5. **सीमा पार कागज रहित व्यापार:** 66.67 प्रतिशत

भारत सरकार द्वारा दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में पारदर्शिता लाने हेतु तकनीकी हस्तक्षेप के लिए विभिन्न उपायों को लागू किया है। इसमें शामिल है:

1. **AEBAS** – 'आधार- समर्थकृत बायोमेट्रिक उपस्थिति' (Aadhar Enabled Biometric Attendance- AEBAS), से कर्मचारियों की उपस्थिति की रियल-टाइम और सटीक निगरानी करना सुगम हो जाएगा, जिससे कर्मचारियों में समय की पाबंदी सुनिश्चित की जा सकेगी।
2. **'ई-ऑफिस' (e-Office)** का उद्देश्य अधिक कुशल, प्रभावी और पारदर्शी अंत:सरकारी

(inter-government) और अंतर-सरकारी (intra-government) विनिमय और प्रक्रियाओं की शुरुआत करना है।

3. **'गवर्नमेंट ई-मार्केट' (GeM)** के माध्यम से, वस्तु एवं सेवाओं की अलग-अलग श्रेणियों के लिए विस्तृत सूचीवद्ध उत्पाद, पारदर्शिता एवं खरीद में आसानी, तथा आपूर्ति और भुगतान और खरीद की निगरानी हेतु उपयोगकर्ता के अनुकूल एक डैश बोर्ड का प्रावधान किया गया है।

<u>रामप्पा मंदिर को 'विश्व धरोहर स्थल' का दर्जा</u>

संदर्भ: हाल ही में, 'विश्व धरोहर समिति' (World Heritage Committee – WHC) द्वारा तेलंगाना के वारंगल के पालमपेट में स्थित 13 वीं शताब्दी के 'रामप्पा मंदिर' (Ramappa Temple) को यूनेस्को के 'विश्व धरोहर स्थल' के रूप में घोषित किया गया है।

पृष्ठभूमि:

रामप्पा मंदिर को 'विश्व धरोहर स्थल' सूची में शामिल किए जाने से पहले, 'अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद' (International Council on Monuments and Sites- ICOMOS) द्वारा 2019 में इस मंदिर का पहली बार भ्रमण किया गया और इसमें नौ कमियों का उल्लेख किया था।

इस मंदिर को 'विश्व धरोहर स्थल' का दर्जा देने का विरोध करने वाला एकमात्र देश 'नॉर्वे' था। 'नॉर्वे' ने इस कदम का विरोध करने के लिए ICOMOS के निष्कर्षों का हवाला दिया।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-3

'रामप्पा मंदिर' के बारे में:

1. 'रामप्पा मंदिर' का निर्माण 13 वीं शताब्दी में काकतीय राजा गणपतिदेव के सेनापति 'राचेरला रुद्रय्या' (Racherla Rudrayya) द्वारा करवाया गया था।
2. मंदिर आधार "सैंडबॉक्स तकनीक" (Sandbox Technique) से तैयार किया गया है, इसका फर्श ग्रेनाइट और स्तंभ बेसाल्ट पत्थर से निर्मित किए गए हैं।
3. मंदिर का निचला हिस्सा लाल बलुआ पत्थर से बना है, जबकि इसका सफेद रंग का 'गोपुरम' कम भार वाली हल्की ईंटों से निर्मित है। ये ईंटे कथित तौर पर पानी पर तैर सकती हैं।

'सैंडबॉक्स तकनीक' क्या होती है?

'सैंडबॉक्स', भवन का निर्माण करने से पहले तैयार की जाने वाली एक प्रकार की नींव होते हैं। सैंडबॉक्स तकनीक में, नींव तैयार करने के लिए खोदे गए गड्ढे को, 'रेत के चूने' (Sand Lime) व गुड़ तथा करक्काया (काले हरड़ फल) के मिश्रण से (पकड़ बनाने के लिए) भरा जाता है।

भूकंप जैसी घटनाएं होने पर, नींव में तैयार किए गए सैंडबॉक्स एक 'तकिया / कुशन' (Cushion) के रूप में कार्य करते हैं।

विश्व धरोहर समिति:

(World Heritage Committee)

'विश्व धरोहर समिति' / 'वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी' की बैठक साल में एक बार होती है, और इस समिति में 'अभिसमय के पक्षकार' देशों से 21 प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इन प्रतिनिधि सदस्यों का चुनाव 'छह साल' तक के लिए किया जाता है।

1. इस समिति का मुख्य कार्य, 'विश्व विरासत अभिसमय' का कार्यान्वयन करना और 'विश्व विरासत कोष' से वित्तीय सहायता आवंटित करना है। किसी 'स्थल' को 'विश्व विरासत सूची' में शामिल किए जाने के संबंध में 'विश्व धरोहर समिति' का निर्णय अंतिम होता है।
2. यह समिति, 'विश्व विरासत सूची' में शामिल स्थलों के संरक्षण की स्थिति पर रिपोर्ट की जांच करती है और इन स्थलों को 'संकटापन्न विश्व विरासत' (World Heritage in Danger) की सूची में रखने या हटाने के विषय पर निर्णय करती है।

'विश्व धरोहर स्थलों' का संरक्षण

'संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन' (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization- UNESCO) अर्थात 'यूनेस्को' का उद्देश्य, मानवता के लिए महत्वपूर्ण समझी जाने वाले, पूरे विश्व में सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत स्थलों की पहचान, सुरक्षा और संरक्षण को प्रोत्साहित करना है।

CAREER PLUS

'विश्व धरोहर स्थलों' का संरक्षण, **'विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित अभिसमय'** (Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage) नामक एक **अंतरराष्ट्रीय संधि** में सन्निहित है। इस संधि को यूनेस्को द्वारा वर्ष 1972 में अपनाया गया था।

'विश्व धरोहर स्थल' हेतु नामांकन प्रक्रिया:

1. सबसे पहले, किसी देश द्वारा अपने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को एक दस्तावेज में सूचीबद्ध किया जाता है, इस 'दस्तावेज' को 'संभावित सूची' (Tentative List) कहते है।
2. इसके बाद, इस सूची से कुछ स्थलों का चयन करके इन्हें एक 'नामांकन फ़ाइल' (Nomination File) में रखा जाता है। फिर, 'स्मारक एवं स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद' तथा 'विश्व संरक्षण संघ' (World Conservation Union) द्वारा 'नामांकन फ़ाइल' में शामिल स्थलों का आंकलन किया जाता है।
3. किसी भी देश के द्वारा, संभावित सूची में शामिल स्थलों से भिन्न स्थलों को नामित नहीं किया जा सकता है।
4. आंकलन के पश्चात, ये संस्थाए 'विश्व धरोहर समिति' को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती हैं।

असम-मिजोरम सीमा विवाद

संदर्भ:

जून 21 की शुरुआत में, मिजोरम-असम सीमा पर बसे दो परित्यक्त / खाली घरों को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जला दिया गया था, जिसकी वजह से इस परिवर्तनशील अंतर-राज्यीय सीमा पर तनाव बढ़ गया था।

इस घटना के बाद, जुलाई की शुरुआत में दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच सीमा विवाद फिर से बढ़ गया है और दोनों राज्य एक-दूसरे पर अपने-अपने क्षेत्रों में अतिक्रमण करने का आरोप लगा रहे है।

विवाद का तात्कालिक कारण:

मिजोरम पक्ष के अनुसार, असम के लोगों ने वर्तमान संकट को भड़काने के लिए 'नों मेंस लैंड' में यथास्थिति का उल्लंघन किया है। विदित हो कि कुछ वर्ष पहले दोनों राज्य सरकारों के मध्य अंतर-राज्यीय सीमा पर 'किसी का भी अधिकार नहीं वाले क्षेत्र' अर्थात 'नों मेंस लैंड' पर सहमति हुई थी।

विवाद के बारे में:

- वर्ष 1972 में मिजोरम को असम से पृथक कर एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था और इसे वर्ष 1987 एक पूर्ण राज्य बना दिया गया।
- अतीत में भी इन दोनों राज्यों के मध्य 6 किलोमीटर लंबी अंतर-राज्यीय सीमा पर झगड़े होते रहे हैं, जिसमे कभी-कभी हिंसक झड़पें भी हो जाती हैं।

CAREER PLUS

यह विवाद ब्रिटिश काल के दौरान जारी की गई दो अधिसूचनाओं से उपजा है:

1. पहला, वर्ष 1875 में जारी एक अधिसूचना, जिसके तहत 'लुशाई पहाड़ियों' को 'कछार' (Cachar) के मैदानी इलाकों से अलग कर दिया गया।
2. दूसरा, वर्ष 1933 में जारी अधिसूचना, जिसके द्वारा लुशाई पहाड़ियों और मणिपुर के बीच एक सीमा का निर्धारण किया गया।

वर्तमान दावे:

1. मिजोरम का दावा है कि 'बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, 1873' के अंतर्गत, 1875 में जारी अधिसूचना के आधार पर यह जमीन उसकी है।
2. असम, इस जमीन को अपनी बताता है और इसके लिए यह, लुशाई पहाड़ियों का सीमांकन करने वाली राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1933 में जारी अधिसूचना का हवाला देता है। इसमें कहा गया है कि मणिपुर की सीमा लुशाई हिल्स, असम के कछार जिले और मणिपुर राज्य के ट्राइजंक्शन से शुरू होती है। मिज़ो लोग इस सीमांकन को स्वीकार नहीं करते हैं।

औपनिवेशिक काल के दौरान मिजोरम को असम के एक जिले 'लुशाई हिल्स' के नाम से जाना जाता था।

अक्सर होने वाले इन झगड़ों की वजह:

इन दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच की सीमा एक काल्पनिक रेखा है, जो नदियों, पहाड़ियों, घाटियों और जंगलों के प्राकृतिक अवरोधों के साथ बदलती रहती है। असम और मिजोरम के लोग, सीमा विवाद के लिए इस अस्पष्ट सीमा पर मतभेदों को जिम्मेदार ठहराते है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग, स्पष्ट सीमांकन के बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से, अक्सर सीमा पार कर दूसरी तरफ चले जाते हैं।

त्रिपुरा अगरवुड नीति

(Tripura agarwood policy)

हाल ही में, 'त्रिपुरा अगरवुड नीति 2021' का मसौदा जारी किया गया है।

- इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2025 तक राज्य में 2000 करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था विकसित करने हेतु राज्य के 'अगरवुड' (Agarwood) व्यवसाय को बढ़ावा देना है।
- 100 करोड़ रुपये के परिव्यय की यह परियोजना, केंद्र सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' और 'वोकल फॉर लोकल' पहल के एक भाग के रूप में शुरू की गई है।

'अगरवुड' के बारे में:

- अगरवुड वृक्ष (एक्विलारिया मैलाकेंसिस - Aquilaria malaccensis) के तेल को लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है।

CAREER PLUS

- वैश्विक बाजार में एक लीटर 'अगर तेल' की कीमत 5 लाख रुपये है।
- IUCN ने इस वृक्ष के लिए 'गंभीर रूप से संकटापन्न श्रेणी' (critically endangered category) में सूचीबद्ध किया है।
- अगरवुड का वृक्ष, पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, भूटान और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों की स्थानिक प्रजाति है।
- यह एक सदाबहार पेड़ है, और यह 40 मीटर तक ऊंचाई में बढ़ सकता है।

KASEZ, भारत का 'पहला हरित औद्योगिक शहर '

कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र (Kandla Special Economic Zone - KASEZ), औद्योगिक शहरों की श्रेणी में 'IGBC ग्रीन सिटी रेटिंग' के अंतर्गत प्लैटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का "पहला हरित औद्योगिक शहर" बन गया है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, देश का सबसे पुराना निर्यात क्षेत्र है।

- यह विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), अपने हरित आवरण का विस्तार करने, 68 प्रजातियों के पेड़ उगाने और 28 किस्मों के पक्षियों को आकर्षित करने में कामयाब रहा है। यह क्षेत्र अतीत में लगभग बिना किसी वनस्पति के नमक युक्त खाली जमीन था।
- इस क्षेत्र में अधिकांश पेड़ **मियावाकी वनीकरण पद्धति** से वर्ष 2019 के बाद लगाए गए हैं।

'आईजीबीसी ग्रीन सिटीज रेटिंग प्रणाली' एक स्वैच्छिक और आम सहमति पर आधारित कार्यक्रम है। शहरों में पर्यावरणीय संवहनीयता का समाधान करने के संदर्भ में, यह भारत में अपनी तरह की पहली रेटिंग है।

इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC), भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) का एक भाग है और इसका गठन वर्ष 2001 में किया गया था।

हड़प्पा कालीन नगर 'धौलावीरा' को 'विश्व धरोहर स्थल' का दर्जा

संदर्भ: हाल ही में, गुजरात में स्थित 'धौलावीरा' (Dholavira) को यूनेस्को के 'विश्व धरोहर स्थल' का दर्जा प्रदान किया गया है।

- यह यूनेस्को 'विश्व धरोहर स्थल' का दर्जा पाने वाला **भारत का 40वां विरासत स्थल** है।
- यह 'विश्व धरोहर स्थल' का दर्जा पाने वाला भारत में **'प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता'** (Indus Valley Civilisation - IVC) **की पहली साइट** है।
- विश्व में अब तक, **भारत के अलावा, इटली, स्पेन, जर्मनी, चीन और फ्रांस** में 40 या अधिक 'विश्व धरोहर स्थल' घोषित किए गए हैं।

CAREER PLUS

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-3

धौलावीरा के बारे में:

- धौलावीरा, एक हड़प्पा-कालीन नगर है, जो कच्छ के रण के फैले द्वीपों में से 'खादिर' (Khadir) नामक द्वीप पर 100 हेक्टेयर में बसा हुआ है।
- इसका समयकाल तीसरी और मध्य दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है।
- धौलावीरा, सिंधु घाटी सभ्यता के पांच सबसे बड़े नगरों में से एक है और गुजरात में वर्तमान 'भुज' से लगभग 250 किमी दूर स्थित है, और दो मौसमी नदियाँ, 'मानसर' और 'मनहर' इससे होकर बहती हैं।

धौलावीरा की विशिष्टताएं:

- वर्तमान पाकिस्तान में स्थित मोहनजोदड़ो (Mohen-jo-Daro), गणवारीवाला (Ganweriwala) और हड़प्पा तथा भारत के हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी के पश्चात 'धौलावीरा', सिंधु घाटी सभ्यता का पांचवा सबसे बड़ा महानगर है।
- धौलावीरा साइट पर, किलेबंदी युक्त गढ़, बीच में एक शहर और एक निचला शहर पाया गया है, इनकी दीवारें बलुआ पत्थर या चूना पत्थर से निर्मित है, जबकि अन्य हड़प्पा स्थलों में दीवारें मिट्टी की ईंटों से बनी पायी गईं हैं।
- यह अपनी, जल प्रबंधन प्रणाली, बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली, विनिर्माण में पत्थरों का व्यापक उपयोग और शवाधान की विशेष पद्धति जैसी अनूठी विशेषताओं के लिए जाना जाता है।
- यहाँ से उत्खनन के दौरान तांबे, पत्थर, टेराकोटा के आभूषण, सोने और हाथी दांत से बनी कलाकृतियां मिली हैं।

CAREER PLUS

- सिंधु घाटी सभ्यता' (IVC) के अन्य स्थलों में पायी गई कब्रों के विपरीत, धौलावीरा में मनुष्यों के कोई मृत-अवशेष नहीं मिले है।
- यहाँ पर मिले तांबा पिघलाने वाली भट्टियों के अवशेषों से इस बात का संकेत मिलता है कि धौलावीरा में रहने वाले हड़प्पावासियों को धातु विज्ञान के बारे में जानकारी थी।
- यह, गोमेद और सीपियों जैसे अर्ध-कीमती रत्नों से बने आभूषणों के निर्माण का भी एक केंद्र था और यहाँ से लकड़ी का निर्यात भी किया जाता था।

धौलावीरा का पतनः

- मेसोपोटामिया के पतन के साथ ही धौलावीरा का भी पतन हो गया, इससे इन अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण का संकेत मिलता है।
- हड़प्पावासी, समुद्री मार्ग से व्यापार करते थे और मेसोपोटामिया के पतन के बाद इनका एक बड़ा बाजार खो गया और इनका स्थानीय खनन, विनिर्माण, विपणन और निर्यात व्यवसाय काफी प्रभावित हुआ।
- 2000 ईसा पूर्व से, धौलावीरा में जलवायु परिवर्तन और सरस्वती जैसी नदियों के सूखने के कारण गंभीर सूखे का दौर शुरू हुआ। सूखा और अन्य विषम परिस्थितियों के कारण, यहाँ के निवासी गंगा घाटी, दक्षिण गुजरात और महाराष्ट्र से आगे की ओर पलायन करने लगे।

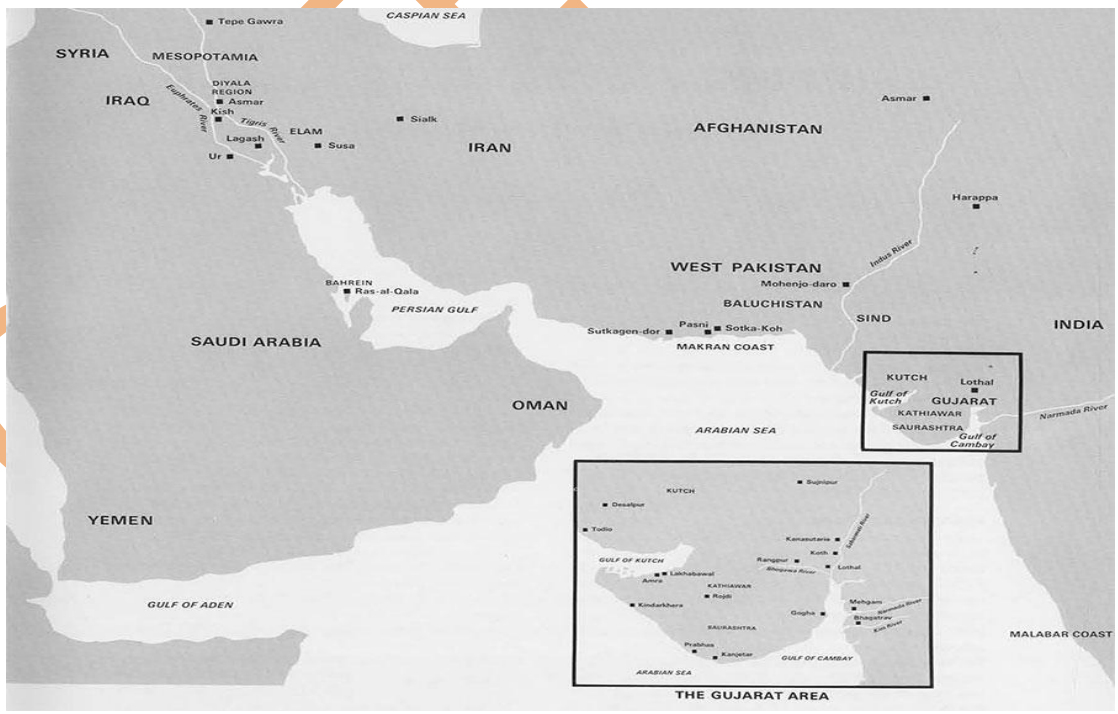

'अकादमिक क्रेडिट बैंक' (ABC)

(Academic Bank of Credit)

संदर्भ:

केंद्र सरकार द्वारा शीघ्र ही 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' (National Education Policy - NEP) 2020 के तहत प्रस्तावित 'अकादमिक क्रेडिट बैंक' (Academic Bank of Credit-ABC) शरू की जाएगी।

'अकादमिक क्रेडिट बैंक' (ABC) क्या है?

- 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' को 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' (UGC) द्वारा स्थापित किया जाएगा।
- इसके तहत, छात्रों के लिए किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश करने और उसे पूरा करने के कई विकल्प दिए जाएंगे।
- 'अकादमिक क्रेडिट बैंक' के तहत, छात्रों के लिए किसी डिग्री या पाठ्यक्रम को छोड़ने और संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने का विकल्प दिया जाएगा। एक निश्चित समय के पश्चात, छात्र, अपनी अधूरी छोड़ी हुई पढाई को उसी स्तर से पुनः शुरू कर सकते हैं।
- इसके द्वारा छात्रों को किसी डिग्री को पूरा करते समय या किसी पाठ्यक्रम को छोड़ने के दौरान संस्थान बदलने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

कार्यविधि:

'अकादमिक क्रेडिट बैंक' एक वर्चुअल स्टोर-हाउस है, जो एक छात्र के 'एकेडमिक क्रेडिट' का रिकॉर्ड रखेगा। यह, सीधे छात्रों से किसी भी पाठ्यक्रम के कोई क्रेडिट कोर्स दस्तावेज़ स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि केवल उच्च शिक्षा संस्थानों से, छात्रों के खातों में जमा 'क्रेडिट कोर्स' दस्तावेज़ों को स्वीकार करेगा।

लाभ:

'अकादमिक क्रेडिट बैंक' क्रेडिट सत्यापन, क्रेडिट संचय, क्रेडिट ट्रांसफर, छात्रों के विमोचन और छात्रों के प्रमोशन में मदद करेगा।

CAREER PLUS

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-3

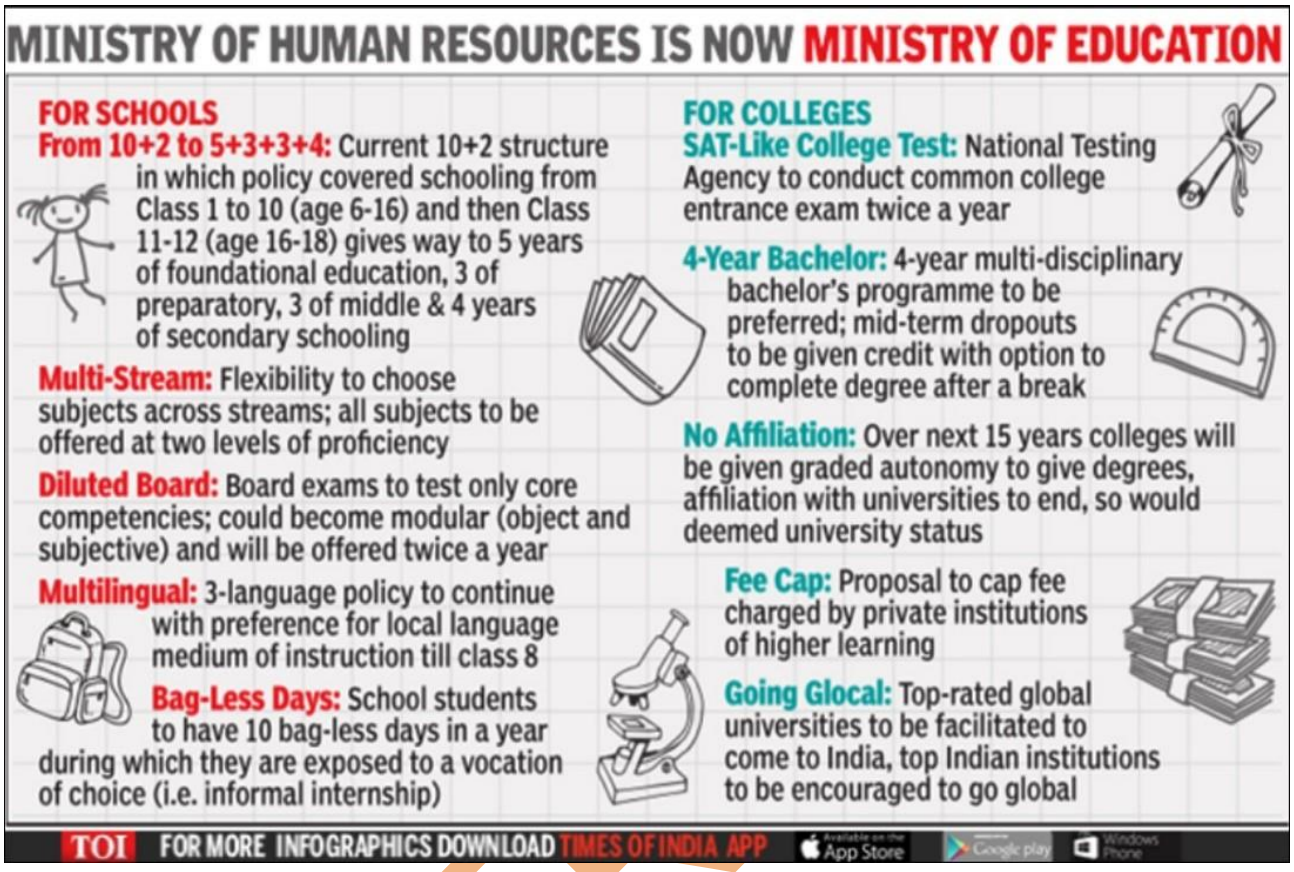

CAREER

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-3

A BRIEF HISTORY OF

NATIONAL EDUCATION POLICY 2020

The **National Education Policy 2020** aims to make major transformational reforms in the education sector in India. Here's a quick look at its evolution so far.

1948-49
University Education Commission

1952-53
Secondary Education Commission

1964-66
Education Commission under Dr. D.S. Kothari

1968
National Policy on Education

1976
42nd Constitutional Amendment, Education in Concurrent List

1986
National Policy on Education (NPE)

1992
NPE 1986 Modified in 1992 (Program of Action, 1992)

2016
T.S.R. Subramaniam Committee Report

2019
Dr. K. Kasturirangan Committee Report

NEP 2020: CONSULTATION PROCESS

- Online on www.MyGov.in (Jan-Oct 2015)
- Nearly 2.5 lakhs Gram Panchayats, 6600 Blocks, 6000 ULBs, 676 Districts (May-Oct 2015)
- Draft NEP, 2019 Summary in 22 languages/Audio Book
- Education Dialogue with MPs (AP, Kerala, Telangana, TN, Puducherry, Karnataka & Odisha)
- Special Meeting of CABE (Sep 2019)
- Parliamentary Standing Committee on HRD (Nov 2019)

PLUS

'अर्थ ओवरशूट डे' , 2021

(Earth Overshoot Day, 2021)

संदर्भ:

वर्ष 2021 का 'अर्थ ओवरशूट डे' (Earth Overshoot Day), पिछले वर्ष की तुलना में लगभग एक माह पहले 29 जुलाई मनाया गया। उत्सर्जन में वृद्धि होने तथा जैव विविधता की क्षति में तीव्रता होने की वजह से, इसे आगे बढ़ाया गया है।

'अर्थ ओवरशूट डे' की तिथि का निर्धारण:

प्रतिवर्ष 'अर्थ ओवरशूट डे' की तारीख की घोषणा 'ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क', (Global Footprint Network) द्वारा की जाती है, यह तत्काल जलवायु कार्रवाई और संवहनीय उपभोग पर कार्य करने वाला एक वैश्विक संगठन है।

'अर्थ ओवरशूट डे' क्या है?

अर्थ ओवरशूट दिवस, प्रतिवर्ष उस तारीख को चिह्नित करता है, जब हम पृथ्वी द्वारा पूरे साल के लिए उपलब्ध कराए गए समस्त संसाधनों का उपभोग कर चुके होते हैं।

अर्थात, पृथ्वी द्वारा पूरे वर्ष के दौरान पुनरुत्पादित किए गए सभी जैविक संसाधनों का 29 जुलाई, 2021 तक मानवों द्वारा उपभोग किया जा चुका है।

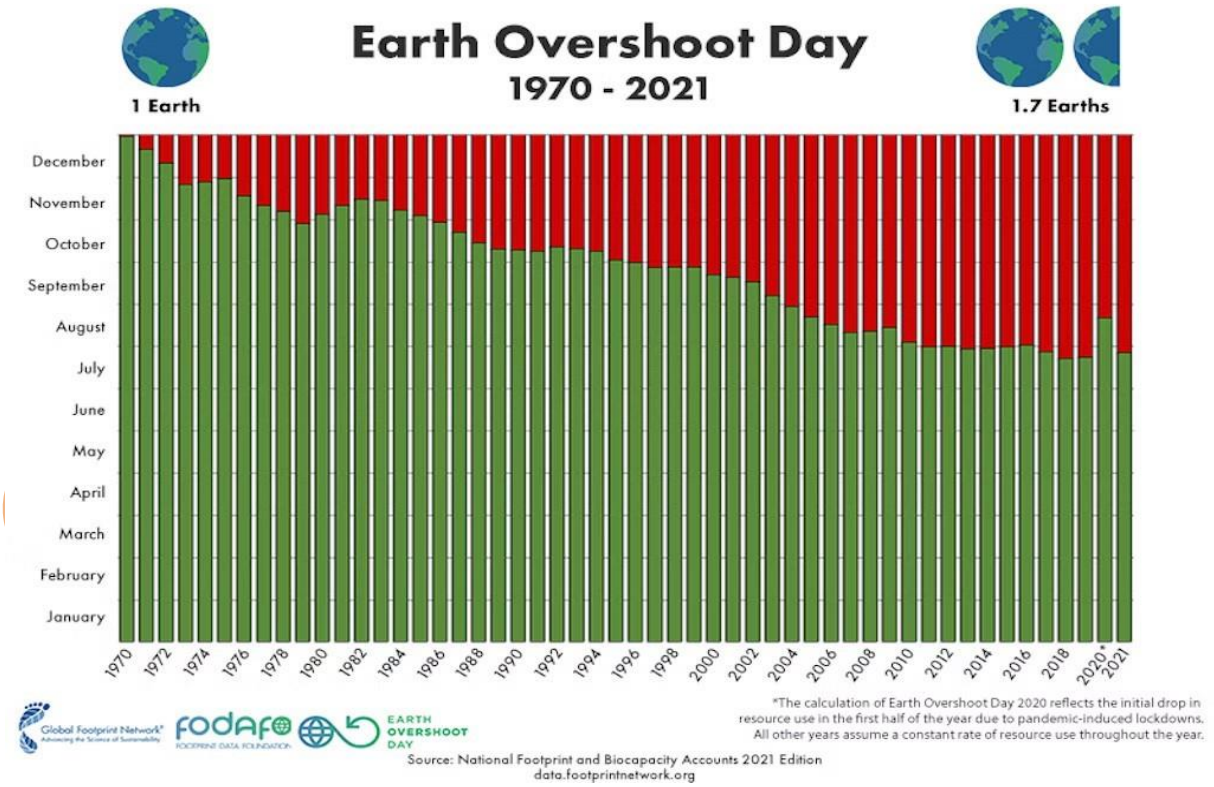

यह दिवस, इस वर्ष एक महीना पहले मनाए जाने का कारण:

- हम अपने वैश्विक कार्बन फुटप्रिंट में 6% की वृद्धि पहले ही देखा चुके हैं, और अमेज़ॅन वर्षावनों में वनों की अत्याधिक कटाई होने के कारण हमारी वैश्विक वन जैव-क्षमता, 0.5% तक कम हो चुकी है।
- वर्ष 2020 के दौरान वनों की कटाई में भी 12% की वृद्धि हुई है, और वर्ष 2021 के अनुमानों से पता चलता है, कि यह आंकड़ा साल-दर-साल बढ़ते हुए 43% तक पहुंच जाएगा।

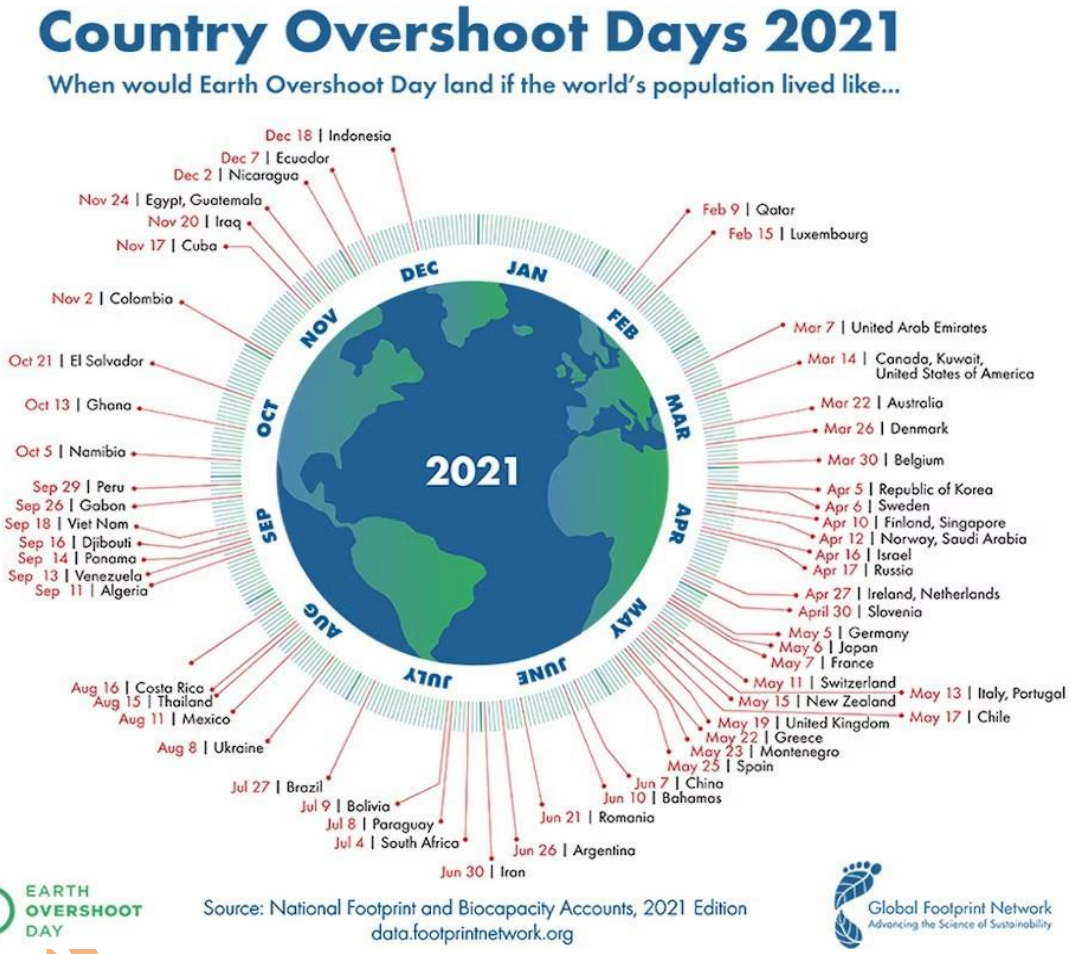

वर्तमान चिंताएं:

- वर्तमान दर के हिसाब से, हम प्रतिवर्ष प्राकृतिक संसाधनों का लगभग 7 गुना अधिक तेज़ी से प्रयोग कर रहे हैं। आज की तारीख से, अर्थात 29 जुलाई से इस वर्ष के अंत तक, हम 'पारिस्थितिक घाटा व्यय' (Ecological Deficit Spending) पर कार्य कर रहे हैं।
- संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, 1970 के दशक में 'ओवरशूट' अवधारणा शुरू होने के बाद से, वर्ष

2021 में हमारा 'प्राकृतिक संसाधन व्यय' सर्वाधिक है।

'अर्थ ओवरशूट डे' की अवधारणा:

'अर्थ ओवरशूट डे' की अवधारणा, पहली बार यूनाइटेड किंगडम के एक थिंक टैंक 'न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन' के 'एंड्रयू सिम्स' (Andrew Simms) द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इन्होने वर्ष 2006 में 'ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क' के साथ भागीदारी में पहला 'ग्लोबल अर्थ ओवरशूट डे' अभियान शुरू किया था।

'अर्थ ओवरशूट डे' की गणना:

'अर्थ ओवरशूट डे' की गणना ग्रह की जैव क्षमता (दिए गए वर्ष में पृथ्वी द्वारा पारिस्थितिक संसाधनों की उत्पादन क्षमता) को मनुष्यों के पारिस्थितिक पदचिह्न (उस वर्ष में मानव द्वारा पारिस्थितिक संसाधनों के उपभोग की मांग) से विभाजित करके और 365 (एक वर्ष में दिनों की संख्या) से गुणा करके की जाती है।

अर्थात, 'अर्थ ओवरशूट डे' = (पृथ्वी की जैव क्षमता/मानवता का पारिस्थितिक पदचिह्न) x 365

'पारिस्थितिक पदचिह्न' क्या होते है?

यह एक मापक होता है, जिसके द्वारा 'प्रकृति की पुनरुत्पादन की क्षमता' के विरुद्ध 'प्रकृति पर मानव- मांग' की व्यापक रूप से तुलना की जाती है।

प्रोजेक्ट बोल्ड

(Project BOLD)

संदर्भ:

'खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग' (KVIC) तथा सीमा सुरक्षा बल ने जैसलमेर में मरुस्थलीकरण को रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 'प्रोजेक्ट बोल्ड' (Project BOLD) की शुरुआत की गयी है।

इस परियोजना के तहत, इनके द्वारा बांस के 1000 पौधे लगाए गए हैं।

'प्रोजेक्ट बोल्ड' के बारे में:

1. बोल्ड का अर्थ "सूखे की स्थिति में भू-क्षेत्र पर बांस मरु-उद्यान" अर्थात (Bamboo Oasis on Lands in Drought- BOLD) है।
2. यह परियोजना 'खादी और ग्रामोद्योग आयोग' (KVIC) द्वारा शुरू की गई है।
3. यह परियोजना, खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित खादी बांस महोत्सव का हिस्सा है।
4. **उद्देश्य:** शुष्क और अर्ध-शुष्क भू-क्षेत्रों में बांस आधारित हरित पट्टियां विकसित करना, मरुस्थलीकरण कम करना और आजीविका एवं बहु-विषयक ग्रामीण उद्योग सहायता प्रदान करना।

परियोजना में 'बांस' को क्यों चुना गया?

बांस, बहुत तेजी से बढ़ते हैं और लगभग तीन साल की अवधि में उन्हें काटा जा सकता है।

CAREER PLUS

बांस को पानी के संरक्षण और भूमि की सतह से पानी के वाष्पीकरण को कम करने के लिए भी जाना जाता है, जोकि शुष्क और सूखाग्रस्त क्षेत्रों की एक विशेषता होती है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग:

KVIC, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (Khadi and Village Industries Commission Act, 1956) के तहत स्थापित एक **वैधानिक निकाय** है।

- आयोग का प्रमुख कार्य, ग्रामीण विकास में लगे अन्य अभिकरणों से समन्वय स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्रामोद्योग के विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाते हुए इसे संबंर्धित, संगठित तथा कार्यान्वित करना है।
- यह **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय** के अधीन कार्य करता है।

संत सांबंदर

(Sambandar)

- हाल ही में, ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय गैलरी (NGA) द्वारा अपने एशियाई कला संग्रह से संत सांबंदर की मूर्ति सहित 14 कला-कृतियाँ भारत को लौटने की घोषणा की गई है।
- नृत्य मुद्रा में बाल संत सांबंदर की यह प्रतिमा 12 वीं शताब्दी के चोल वंश से संबंधित है।
- सांबंदर, दक्षिण भारत में सक्रिय तिरेसठ नयनार संतों में से एक थे। इन संतों ने भक्ति कविता और गीतों के माध्यम से शिव की आराधना को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

CURRENT AFFAIRS UPSC-2022/PART-3

CAREER PLUS

Head Office: 301/A-37,38,39, III Floor, Ansal Building Commercial Complex (Near Batra Cinema) Above Mother Dairy, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009